

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

सशर्त



शाला कोड

322272

मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र

High School & Higher Secondary

01-07-2025 से 30-06-2027

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अधिनियम 1965 क्रमांक 23, सन् 1965 की धारा 8 (च) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम के विनियमों के अधीन, एतद् द्वारा

DREAM LAND PUBLIC ENG MED H S SCHOOL PAMGARH

जिला **JANJGIR-CHAMPA** (छ.ग.) को नीचे लिखे तालिका में वर्णित विषयों में निम्नानुसार शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

1. शाला द्वारा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा अधिकृत निरीक्षण अधिकारी या दल को शाला के निरीक्षण हेतु सम्पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया जायेगा।
2. शाला, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अधिनियम 1965 तथा उसके अधीन बनाये गए नियम, उपनियम आदि के सम्पूर्ण पालन के लिए बाध्य होगा। साथ ही, समय-समय पर इस संबंध में मण्डल एवं शासन द्वारा जारी दिशा- निर्देशों आदि का पालन करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शाला का होगा।
3. शाला में अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं की व्यक्तिगत सुरक्षा (शाला प्रांगण में) की जिम्मेदारी शाला की होगी।
4. शाला द्वारा कोई अनैतिक / असंवैधानिक क्रियाकलापों में भागीदारी नहीं की जावेगी तथा असामाजिक एवं हिंसात्मक तत्वों को संरक्षण नहीं दिया जायेगा।
5. समय-समय पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा मांगी गई जानकारी, निर्धारित सामायिक सूचनायें यथा समय शाला द्वारा प्रस्तुत की जावेगी।
6. शाला को जिस भवन में, जिन शिक्षकों की नियुक्ति के आधार पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की मान्यता दी गई है, उस भवन, आधारभूत संरचना एवं शैक्षणिक स्टाफ को प्रदर्शित करते हुए किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की मान्यता के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। अगर ऐसा पाया जाता है तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा दी गई मान्यता समाप्त की जा सकेगी।
7. शाला अपने विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक गतिविधियों तथा खेलकूद/स्वास्थ्य, अन्य प्रतियोगिताओं के लिए समुचित सुविधाएँ उपलब्ध करायेगी।
8. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर शाला को दी गई मान्यता किसी समय समाप्त की जा सकेगी।
9. प्राचार्य इस प्रमाण-पत्र को अपने कक्ष में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे।

टीप:- मान्यता के संबंध में उद्भूत किसी भी विवाद के संबंध में कोई भी क़ानूनी कार्यवाही केवल छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में स्थित माननीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन ही की जावेगी।

Class	Medium	Group Name	Subject Name
High School	English	Language	090-SANSKRIT, 070-HINDI, 080-ENGLISH
		Compulsory Subject	100-MATHEMATICS, 300-SOCIAL SCIENCE, 200-SCIENCE
Higher Secondary	English	Language	
		Humanities (Arts)	
		Science	
		Commerce	

जारी तिथि : 22-02-2026 11:00:19 PM

महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़
रायपुर

अध्यक्ष
महानिदेशक मार्वि शिक्षण समिति
पामगढ़, जंजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

Principal
Dream Land Public School
Pamgarh
Dist. Jangir Champa (C.G.)

सहायक सचिव (मान्यता)
सहायक सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर, जिला-जांजगीर-चाम्पा(छ.ग.)

स्वामी विवेकानंद मार्ग, मेन रोड जांजगीर, फोन नं. 07817222033, टेल फ्री नं. 18002332567

ज.श.सं./अनु.मान्य./2023-24/550

जांजगीर, दिनांक 14/06/2023

प्राचार्य

ड्रीमलैण्ड पब्लिक स्कूल पामगढ़

वि.खं.-पामगढ़

जिला-जांजगीर-चाम्पा(छ.ग.)

विषय:-

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिए बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उपनियम 4 के तहत विद्यालय के नियम मान्यता प्रमाण पत्र।

—00000—

आपका आवेदन पत्र के संदर्भ में एतद् विषयक विद्यालय के पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत ड्रीमलैण्ड पब्लिक स्कूल पामगढ़, वि.खं.-पामगढ़ (विद्यालय का नाम पता सहित) को कक्षा-नर्सरी से बारहवीं तक के लिए सत्र 2023-24 हेतु अस्थाई मान्यता प्रदान करता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन है।

1. क्र. 01. मान्यता की स्वीकृति परिवर्तनीय नहीं है और किसी भी प्रकार से कक्षा आठवीं के बाद से संबंधित नहीं है।
02. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर 1 व 2) विद्यालय के लिये बंधनकारी होगा।
03. विद्यालय, पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा पहली की दर्ज संख्या के 25 प्रतिशत तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
04. परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12(2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
05. सोसायटी/विद्यालय कोई भी कंपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चों का या उसके माता-पिता पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित करेगा।
06. विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चों को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
07. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि—
 - ❖ प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा।
 - ❖ किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।
 - ❖ किसी भी बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
 - ❖ कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश करेगा।
 - ❖ शिक्षक कानून के खण्ड 23(1) में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता सहित नियुक्त किये जाते हैं। 5 वर्ष की समयावधि के भीतर एसी न्यूनतम योग्यतायें प्राप्त करेंगे।
 - ❖ शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते उनकी सेवा नियम व शर्तें कानून के खण्ड 23(3) के उद्देश्य के लिए नियम 18 के उप नियम(1) के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित होगा।
08. विद्यालय उपर्युक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा।
09. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।
10. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में विशिष्टीकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाये रखेंगे। अंतिम निरीक्षण के समय प्राप्त सुविधायें निम्नानुसार हैं—

मईनका प्रारंभिक शिक्षण समिति

Principal
Dream Land Public School
Pamgadh
Jangir, Champa (C.G.)

सुप्रा
मईनका प्रारंभिक शिक्षण समिति
पामगढ़, जांजगीर-चाम्पा(छ.ग.)

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

/अशास. मान्यता/2023

रायपुर, दिनांक

सचिव

ड्रीम लैंड पब्लिक इ.मि. उ.मा.वि. पामगढ़

जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विषय :-मान्यता वृद्धि प्रमाण पत्रमेजने विषयक ।

संस्था कोड

322272

माध्यम-अंग्रेजी

—00—

उपरोक्त विषयक " मंडनका भाई शिक्षण समिति पामगढ़ क्रमांक 2834 जिला-जांजगीर चांपा द्वारा संचालित आपके स्कूल को छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर का संशोधन आदेश क्रमांक/एफ-2-39/2019/20-दो, नवा रायपुर, दिनांक 09.09.2022 के अनुसार मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा सत्र 01.07.2020 से 30.06.2024 हेतु सशर्त मान्यता वृद्धि प्रदान की जाती है। आपकी संस्था को मान्यता वृद्धि इस प्रतिबंध के साथ दी गई है, कि "मान्यता विनियम 1994" एवं मण्डल द्वारा जारी मान्यता वृद्धि हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति आपके द्वारा समयावधि में पूर्ण की जावेगी। मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति आपके द्वारा की गई है अथवा नहीं, की जाँच मण्डल द्वारा गठित समिति द्वारा की जा सकती है।

मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्ड निर्देश क्रमांक/14/अशा.मान्यता/2018 रायपुर, दिनांक 02.02.2018 मण्डल वेबसाइट में प्रदर्शित है। निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति के संबंध में आप निम्नानुसार जानकारी अनिवार्य रूप से तीन माह में मण्डल कार्यालय में जमा करायें। जॉच उपरान्त यह पाया जाता है कि आपके द्वारा निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति नहीं की गई है तो मण्डल द्वारा जारी मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रमुख की होगी। मण्डल द्वारा नियुक्त अधिकारियों/मण्डल की मान्यता समिति के सदस्यों के द्वारा सत्र के दौरान कभी भी आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण में भौतिक सत्यापन के दौरान मान्यता के लिये मापदण्ड की पूर्ति हेतु आपके द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार नहीं पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।

यहां, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि निम्न अंकित मापदण्डों की पूर्ति आपके द्वारा निर्धारित समय सीमा में नहीं की जाती है तो, यह सशर्त दी गई मान्यता स्वतः समाप्त मानी जा सकती है। संस्था में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को होने वाली असुविधा के लिये संस्था के अध्यक्ष एवं प्रबंधक स्वयं पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

स.क्र. निम्नांकित शर्तों की पूर्ति की जाना है:-

- कार्या पत्र क्र./6367/अशास.मान्यता/2022, रायपुर, दिनांक 03.10.2022 अनुसार संस्था में कक्षा 10 वीं/12वीं की शाला प्रारंभ करने की विमागीय अनुमति की प्रति संलग्न करेंगे।
- भवन का किरायानामा/नक्शा बी-1 के साथ नवीनीकरण होने पर छाया प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- स्वयं का भवन होने पर संस्था/समिति के नाम पर भूमि/भवन आदि होने की जानकारी की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रस्तुत करेंगे।
- हाईस्कूल के प्राचार्य, स्नातकोत्तर, बी.एड, एवं 06 व्याख्याता स्नातकोत्तर की योग्यता रखते हों, की नियुक्ति तीन माह में करते हुए मण्डल को अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र सहित सूचित करेंगे। हायर सेकण्डरी के लिये प्रत्येक संकाय में स्नातकोत्तर शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे। स्टाफ सूची वेतनमान सहित अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
- अक्षय निधि शहरी क्षेत्र हेतु राशि 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रुपये) एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु राशि 50,000/- (अक्षरी पचास हजार रुपये) जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य के संयुक्त खाते में जमा रखना अनिवार्य है। संस्था के बचत खाते में शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु रु 50,000/-राशि आवश्यक है, जिससे आकस्मिक स्थिति में शिक्षकों को कम से कम तीन माह का वेतन किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर भुगतान कर सकें।
- बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये खेल के मैदान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- मान्यता वृद्धि हेतु निर्धारित आवेदन पत्र एवं शुल्क हाईस्कूल हेतु रु 5000/- (+100/- आवेदन पत्र शुल्क) एवं हायर सेकण्डरी हेतु रु 7000/- (+100/- आवेदन पत्र शुल्क) अनिवार्य रूप से समयावधि 31 दिसम्बर के पूर्व मण्डल में जमा करायें।
- छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल "मान्यता विनियम 1994" के सभी प्रावधानों का पूर्णरूपेण पालन संस्था द्वारा किया जाना तथा कार्या. पत्र क्र./14/अशास.मान्यता/2018, रायपुर, दिनांक 02.02.2018 द्वारा मान्यता हेतु जारी निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य है।
- मण्डल के नाम पट पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त तथा मान्यता कोड स्पष्ट उल्लेख किया जाना है।
- वर्तमान में कार्यरत विद्यालय प्रबंध समिति व समिति की प्रमाणित प्रति प्रेषित करेंगे।
- विद्यालय में सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्र/सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा है या नहीं, इसकी जानकारी प्रेषित करेंगे।
- मान.उच्च न्यायालय के रेट याचिका प्रकरण क्रमांक 41/2016 में दिये गये निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुशंसाओं (बिन्दु क्रमांक 4.6.3) के अनुरूप सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों/कालेज/एन.सी.सी./एन.एस.एस. यूनिट में लिगल लिटरेसी क्लब एवं लिगल एड क्लीनिक की स्थापना अनिवार्यतः की जानी है।
- निम्नानुसार मान्यता एवं विलम्ब शुल्क अप्राप्त है:-

स.क्र.	परीक्षा सत्र	मान्यता शुल्क	विलम्ब शुल्क	योग

टीप:- मण्डल से पत्र व्यवहार करते समय हमेशा संस्था को आबंटित संस्था कोड क्रमांक अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाय।

संलग्न- मान्यता वृद्धि प्रमाण पत्र।

सहायक सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल

रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक/ 2075/अशास. मान्यता/2023

रायपुर, दिनांक 11-8-23

प्रतिलिपि :-

01. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ,

सचिव

मंडनका भाई शिक्षण समिति
पामगढ़, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

Principal
Dream Land Public School
Pamgarh
Dist-Janjgir Champa (C.G.)

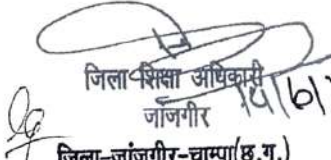
सहायक सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल

रायपुर

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल -
- खेल के मैदान का क्षेत्रफल
- अध्यापन कक्षाओं की संख्या
- प्रधान पाठक सह कार्यालय सहभण्डार हेतु कक्ष
- बालको और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
- पेयजल सुविधा
- मध्यान्ह भोजन पकाले हेतु किचन
- बाधारहित पहुंच मार्ग
- शिक्षण अधिगम सामाग्री
- खेलकुद के उपकरण
- पुस्तकालय की संख्या

11. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायेगा
12. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यावहारिक या आवासीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।
13. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी के द्वारा किसी कानून के तहत समयावधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।
14. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जायेगा।
15. लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिये और चाटर्ड एकाउंटेंट में प्रमाणित कराया जाना चाहिये और नियमानुसार एकाउण्ट स्टेटमेंट तैयार किया जाना चाहिये। एकाउण्ट स्टेटमेंट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना होगा।
16. आपके विद्यालय को आर्बिट्रिट मान्यता को किसी भी पत्राचार में इसे अंकित करना होगा।
17. विद्यालय समय-समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारीयों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तों की सतत् पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण आवश्यकतानुसार को सुनिश्चित किया जाये।
19. अन्य शर्त एनकेसर 3 के अनुसार संलग्न है।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 जांजगीर
 जिला-जांजगीर-चाम्पा(छ.ग.)
 जांजगीर, दिनांक 14/06/2023

पू.क्र./अशास.सं/अनु.मान्य./2023-24/551

प्रतिलिपि:-

01. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय खण्ड-3 प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चाम्पा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
04. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


 सचिव
 मईनका माई शिक्षण समिति
 पामगढ़, जांजगीर-चाम्पा(छ.ग.)

Principal
 Dream Land Public School
 Pamparn
 District-Jaungir-Champa
 (C.G.)


 जिला शिक्षा अधिकारी
 जांजगीर
 जिला-जांजगीर-चाम्पा(छ.ग.)

सुपु
 अध्याक्ष
 मईनका माई शिक्षण समिति
 पामगढ़, जांजगीर-चाम्पा(छ.ग.)